सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 10 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 26 – 05 मार्च 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या जयराम लड़ पायेंगे भ्रष्टाचार से– उठने लगा है यह सवाल

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अब वीरभद्र शासन के दौरान प्रदेश के परवाणु और नादौन स्थित गोल्ड रिफाइन्रीज़ को दी गयी करीब ग्यारह करोड़ रूपये की राहत के मामले की जांच करवाने की बात की है। उससे पहले बीवरेज कारपोरेशन के मामले की जांच करवाने के आदेश मन्त्रीमण्डल की धर्मशाला में हुई पहली बैठक में दिये गये थे। जयराम सरकार ने यह भी दोहराया है कि भ्रष्टाचार के प्रति उसकी जीरो टालरैन्स की ही नीति रहेगी। जयराम को सत्ता संभाले दो माह हो गये हैं और बीवरेज़ कारपोरेशन प्रकरण की जांच के आदेश का उसका पहला फैसला था लेकिन अभी तक इस जांच को लेकर बात कोई ज्यादा आगे नही बढ़ी है। इस जांच को समयवद्ध भी तो किया नही गया है। इसलिये इस जांच में पूरा कार्याकाल भी लग जाये तो कोई हैरत नही होगी। गोल्ड रिफाईनरी प्रकरण की जांच की भी कोई समय सीमा तय नही की गयी है। भाजपा ने बतौर विपक्ष वीरभद्र के पिछले पांच वर्ष के कार्याकाल में दिये गये आरोप पत्रों को भी अभी तक विजिलैन्स को नही सौपा है। जयराम सरकार के अगर अब तक के फैंसलों को भ्रष्टाचार की खिलाफत आईने में देखा जाये तो लगता नही हैं कि यह सरकार भी धूमल और वीरभद्र सरकारों से बेहतर इस संर्द्धभ में कुछ कर पायेगी। क्योंकि जिन दो मामलों में मन्त्रीमण्डल की बैठकों में जांच के फैसले लिये गये हैं उन दोनों मामलों को लेकर वीरभद्र सरकार ने भी मन्त्रीपरिषद् की बैठक मे ही फैसले लिये थे। दोनो मामलों में करोड़ो का वित्तिय हानि/लाभ जुड़ा रहा है। सरकार के काम काज़ की प्रक्रिया की जानकारी रखनेवाले जानते हैं कि जिस भी मामले में वित्त जुड़ा हो उस पर फैसला लेने से पहले वित्त विभाग की राय अवश्य ली जाती है। यदि समय के अभाव के कारण पहले वित्त विभाग को फाईल न भेजी जा सकी हो तो मन्त्रीपरिषद् की बैठक में ही वित्त विभाग की राय दर्ज की जाती है स्वभाविक है कि इन मामलो में भी वित्त विभाग की राय अवश्य ली गयी होगी। वीरभद्र शासन के दौरान जो वित्त सचिव थे वही आज भी है। इसलिये आज यह उम्मीद किया जाना स्वभावत: ही व्यवहारिक नहीं लगता कि वित्त विभाग इन फैसलों को अब गलत करार दे दे।

दरअसल हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई कर पाना किसी भी सरकार के वर्ष में होता ही नही हैं बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि किसी की भी नीयत ही नही होती है। केवल भ्रष्टाचार की खिलाफत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना ही नीयत और नीति रहती है। स्मरणीय है कि वीरभद्र सरकार में 31 अक्तूबर 1997 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रिवार्ड स्कीम अधिसूचित की गयी थी इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतों पर एक माह के भीतर प्रारम्भिक जांच किये जाने का प्रावधान किया गया था। शिकायत गलत पाये जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कारवाई का भी प्रावधान किया गया है। यह स्कीम सरकार में आज भी कायम है क्योंकि इसे वापिस नही लिया गया है। लेकिन स्कीम अधिसूचित होने के बाद आजतक इसके तहत वांच्छित नियम तक नही बनाये गये है। इसमें कोई वित्तिय प्रावधान नही किया गया है। विजिलैन्स को इसकी आजतक अधिकारिक रूप से कोई जानकारी ही नही है। इस स्कीम के तहत आज भी विजिलैन्स के पास कई गंभीर शिकायतें वर्षो से लंबित पड़ी हैं जिनपर कारवाई का साहस नही हो रहा है। इसी स्कीम के तहत आयी एक शिकायत जब उच्च न्यायालय तक पंहुच गयी थी तब वीरभद्र सिंह की 98 बीघे ज़मीन सरप्लस घोषित होकर सरकार में वेस्ट होने के आदेश हुए थे जिन पर आज तक अमल नहीं हो पाया है।

1998 में जब धूमल ने सरकार संभाली थी तब 1993 से 1998 के बीच हुई चिट्टों पर भर्ती के प्रकरण में हर्ष गुप्ता और अवय शुक्ला के अधीन दो जांच कमेटीयां गठित की गयी थी। इन कमेटीयों की रिपोर्ट में हजारों मामलें चिट्टो पर भर्ती के सामने आये थे लेकिन अन्त में धूमल सरकार ने कुछ नही किया। इसके बाद जब यह मामला शैल में कमेटीयो की रिपोर्ट छप जाने के बाद उच्च न्यायालय पहुंचा तब अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इसमें एफआईआर दर्ज किये जाने के आदेश किये। यह पूरा मामला सरकारी तन्त्र की कारगुज़ारी का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देखने के बाद प्रशासनिक तन्त्र और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर धारणा ही बदल जाती है क्योंकि इस मामले की जांच के बाद जिस तरह से विजिलैन्स ने दो तीन सेवानिवृत अधिकारियों के खिलाफ चालान दायर करके सारे मामले को खत्म किया है उसे देखकर तो जांच ऐजैन्सी पर से ही विश्वास उठ जाता है बल्कि ऐसी ऐजैन्सियों को तो तुरन्त प्रभाव से भंग ही कर दिया जाना चाहिये।

इसी तरह जब प्रदेश के हाईडल प्रौजैक्टस को लेकर उच्चन्यायालय के निर्देशों पर अवय शुक्ला कमेटी ने 60 पन्नो से अधिक की रिपोर्ट सौंपी और उसमें ऑखें खोलने वाले तथ्य सामने रखे तो उसके बाद आजतक इस रिपोर्ट पर सरकार और अदालत में क्या कारवाई

हुई यह कोई नही जानता। जेपी के थर्मल प्लांट प्रकरण में भी अदालत के निर्देश पर केसी सडयाल की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित हुई थी इसकी रिपोर्ट भी अदालत को चली गयी थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह भी कोई नही जानता। यही नहीं जब शिमला और कुछ अन्य शहरों में पीलिया फैला था तब उसकी जांच के लिये अदालत के निर्देशों पर एफआईआर हुई थी। चालान अदालत में गया लेकिन सरकार ने संवद्ध अधिकारियों के खिलाफ मुकद्यमा चलाने की अनुमति नही दी। क्या यह सब अपने में ही भ्रष्टाचार नही बन जाता है। आज अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों के मामले में एनजीटी ने कसौली के मामले में कुछ अधिकारियों को नामत: दोषी चिन्हित करके मुख्य सचिव को कारवाई के निर्देश दिये हुए हैं। लेकिन आज तक कारवाई नही हुई है। क्या जयराम यह कारवाई करवा पायेंगे?

वीरभद्र सरकार ने अपने पूरे कार्याकाल में एचपीसीए और धूमल के संपत्ति मामलों पर ही विजिलैन्स को व्यस्त रखा लेकिन पूरे पांच साल में यह ही तय नही हो पाया है कि क्या एचपीसीए सोसायटी है या कंपनी। वीरभद्र के निकटस्थ रहे अधिकारी सुभाष आहलूवालिया और टीजी नेगी एचपीसीए में खाना बारह में दोषी नामज़द है और इसी कारण से वीरभद्र सरकार इन मामलों में सार्वजनिक दावों से आगे नही बढ़ पायी। धूमल ने अपने संपत्ति मामले में जब यह चुनौती दी कि इस समय प्रदेश के मुख्यमन्त्री रहे शान्ता कुमार, वीरभद्र और धूमल तीनों ही मौजूद हैं इसलिये तीनो की संपत्ति की जांच सीबीआई से करवा ली जाये। तब धूमल की इस चुनौती के बाद वीरभद्र इसमें आगे कुछ नही कर पाये। भ्रष्टाचार का कड़वा सच लिखने वाले शान्ता कुमार के विवेकानन्द ट्रस्ट के पास फालतू पड़ी सरकारी ज़मीन को वापिस लिये जाने के लिये आयी एक याचिका पर सरकार अपना स्टैण्ड स्पष्ट नही कर पायी है। सरकार से जुड़े ऐसे दर्जनों प्रकरण है जहां पर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर स्वभाविक रूप से सन्देह उठते हैं और यह सन्देश उभरता है कि सरकार को भ्रष्टाचार केवल मंच पर भाषण देने के लिये और लोगों का ध्यान बांटने के लिये ही चाहिये। आज इसी भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश कर्ज के गर्त में डूबता जा रहा है। इसलिये या तो सरकार भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को समयबद्ध करे या फिर जांच का ढोंग छोड़ दे।

माननीयों के लिये नही हो पाया अब तक विशेष अदालत का गठन

शिमला/शैल। राजनीति में बढ़ते अपराधिकरण को रोकने के लिये विशेष अदालतें गठित की जानी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यह अदालतें पहली मार्च तक गठित हो जानी थी। ऐसी अदालतों के गठन के बाद विधायकों/सांसदो/मन्त्रियों से जुड़े आपराधिक मामलों की कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूरी किये जाने का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश पहले भी कई बार दे चुका है जिन पर ठीक से अमल नही हो पाया है। लेकिन इस बार इस संर्द्धभ में गंभीरता बदल गयी है क्योंकि प्रधानमन्त्री मोदी ने भी देश और संसद से यह वायदा किया है कि वह संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवायेंगे। यह तभी संभव है जब माननीयों से जुड़े आपराधिक मामलों के निपटारे एक समय सीमा के भीतर हो जायें।

प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में भी करीब एक दर्जन सदस्य ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। कांग्रेस की आशा कुमारी को तो अदालत एक वर्ष की सज़ा तक सुना चुका है। इस मामले में आशा कुमारी की अपील अदालत में लंबित है। वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई अदालत में चालान दायर कर चुकी है। ईडी भी चालान दायर कर चुकी है। इसी तरह भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर और वीरेन्द्र कश्यप के मामले अदालत में पहुंच चुके हैं। भाजपा के ही किशन कपूर और राजीव बिन्दल के मामले भी अदालत में पहुंच चुके हैं। ऐसे में यदि विशेष अदालत गठित हो जाती है तो इन माननीयों के मामलों में फैसला आने में वक्त नही लगेगा और इससे प्रदेश की राजनीति के सारे गणित बदल जायेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माननीयों के मामलों को निपटाने के लिये विशेष अदालत का गठन कर दिया है लेकिन हिमाचल में अभी तक ऐसा नही हो पाया है। इस संर्द्धभ में अभी तक सरकार और उच्च न्यायालय की ओर से कोई कदम नही उठाये गये हैं। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के मुताबिक प्रदेश उच्च न्यायालय में पिछले दिनों छुट्टियां होने के कारण इस दिशा में कारवाई नही हो पायी है। लेकिन उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक कुछ लोग विशेष अदालत का गठन किये जाने को टालने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग तर्क दे रहे हैं कि हिमाचल में ऐसे मामलों की संख्या कम होने के कारण अलग से ऐसी विशेष अदालत गठित किये जाने का कोई औचित्य नही बनता है लेकिन जिन भी माननीयों के खिलाफ मामले चल रहे हैं उन्हें एक वर्ष की तय समय सीमा के भीतर कैसे निपटाया जाये इस बारे में यह लोग एकदम चुप हैं। माना जा रहा है कि जयराम सरकार पर कुछ मामलों को वापिस लेने के लिये जो दबाव बना हुआ है उसके चलते भी विशेष अदालत के गठन को लंबित किया जा रहा है। क्योंकि जब विशेष अदालत का गठन अधिसूचित हो जायेगा तब इन मामलों को वापिस लेना और भी कठिन हो जायेगा।

प्राकृतिक कृषि के मॉडल को जानने आंध्रप्रदेश जाएगा दल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के म डल को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्य के कृषि एवं बागवानी विशेषज्ञों का एक दल 7 मार्च से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का दौरा करेगा। यह दल, 17 मार्च को प्राकृतिक कृषि पर आधारित प्रस्तावित राज्य स्तरीय सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी समग्र रूप से प्राकृतिक कृषि के म डल को पूर्ण रूप से अपनाया जा सके।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में राजभवन शिमला में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को राज्य में कार्यान्वयन के लिए आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि आध्रप्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. विजय कुमार, जो वर्तमान में मुख्य सलाहकार कृषि हैं, की सेवाएं इस क्षेत्र में ली जा सकती हैं। उन्होंने शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पद्धति को ढाई वर्षों में राज्य के लगभग एक हजार गांव में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। हम उनके म डल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा, वैज्ञानिक के तौर पर पद्मश्री डॉ. सुभाष पालेकर की सेवाएं लेकर किसानों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि छोटे किसानों और विशेषकर बागवानी में यह म डल अधिक कारगर है। किसानों की आय को दोगुना करने में भी यह सहायक है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह बड़ा योगदान होगा इसलिए, अधिकारी समर्पण व मिशन के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि इस पद्धति के सीधे छह फायदे हैं, पानी बचेगा, पर्यावरण बचेगा, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, गौ-पालन होगा, उत्पाद स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर होंगे और किसान बचेगा।

उन्होंने पशुपालन विभाग से नस्ल सुधार की दिशा में कार्य करने का भी आग्रह किया तथा विशेष तौर पर साहीवाल, थारपारकर व रेड सींधी बुल के उच्च उत्पादकता वाले सीमन किसानों को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देसी गाय को बचाने के लिए इस दिशा में कार्य करना जरूरी है। उन्होंने नस्ल सुधार के लिए विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण व केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह भी किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए गुरूकुल कुरूक्षेत्र और आध्रप्रदेश के म डल का अध्ययन किया जाएगा। 7 मार्च से 11 मार्च तक पांच दिवसीय दौरे पर प्रदेश के कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों, कृषि और बागवानी विभागों का एक दल आध्रप्रदेश का दौरा करेगा। 17 मार्च को राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में लेखन सामग्री, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस और प्रशिक्षण हर स्तर पर कार्य किया जाएगा।

प्रधान सचिव बागवानी जे.सी शर्मा तथा सचिव ग्रामीण विकास आर.एन बत्ता ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

निदेशक ग्रामीण विकास विभाग राकेश कंवर, कृषि निदेशक देस राज शर्मा, उद्यान विभाग के निदेशक मोहिन्द्र सिंह राणा, पशुपालन विभाग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने भाजपा मुख्यमंत्रियों की परिषद् बैठक में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

बैठक में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी तथा विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान मुख्य लक्ष्य निम्न स्तर तक अति-निर्धन तथा प्रत्येक लाभार्थी को लाभान्वित करने के उद्देश्य को हासिल करने पर विशेष बल दिया गया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं तथा राजय में इनकी उपलब्धियों के बारे अवगत करवाया और राज्य के समग्र विकास तथा आम जनमानस के कल्याण के लिए इनके प्रभावी कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।

बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

आईपीएच के 100 दिनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सचिव देवेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अभियन्ताओं तथा अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ विभाग के लिए निश्चित 100 दिनों के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की।

इस दौरान अधिकारियों तथा अभियन्ताओं ने आश्वासन दिया कि निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

विभागीय सचिव ने अधिकारियों तथा अभियन्ताओं को राज्य में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए अभी से तैयार रहने के निर्देश दिए और गर्मियों से पहले उनके सम्बन्धित कार्यक्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के समय-समय पर निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की शिकायतों अथवा कमियों का समाधान करें।

देवेश ने वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इनसे जल स्रोतों को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को मल निकासी संयंत्रों का भी निरीक्षण करना चाहिए और मानकों के अनुसार उनकी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित बनाने के प्रयास करने चाहिएं।

आईपीएच के प्रमुख अभियन्ता अनिल बाहरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत के लिए मुख्यमंत्री ने दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा चुनावों के घोषित नतीजों में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी है।

उन्होंने एनडीए के एजेंण्डे में विश्वास जताने के लिए त्रिपुरा तथा नागालैंड के लोगों का आभार व्यक्त किया। यह पहला मौका है जब भाजपा ने त्रिपुरा तथा नागालैण्ड से कांग्रेस को पूरी तरह से उखाड़ कर बाहर का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सुशासन के एजेंण्डे को अपना समर्थन दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए 2019 के आगामी लोकसभा चुनावों में निश्चित तौर पर अपनी जीत हासिल करने की मजबूत स्थिति में है और इस दिशा में काफी प्रगति हासिल कर ली गई है।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HPPWD Theog Distt Shimla H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Job No. Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	EMD (Rs.)	Time allowed	Cost of tender (Rs.)	Eligible class of contractor
1. Annual maintenance plan of Narail Kelvi Dharampur Kiartoo Bagoti road km. 0/0 to 28/0 (SH:- P/L Bitumen concrete 25mm thick in km/RD 1/0 to 2/0 and 15/0 to 16/0 for the year 2018-19.	14,24,107	28,550	Two months	500	Class-D
2. Annual maintenance plan of Shillaroo to Manan Raog road km. 0/0 to 4/0 (SH:- :- P/L Bitumen concrete 25mm thick in km/RD 0/0 to 2/0 for the year 2018-19.	14,24,107	28,550	Two months	500	Class-D
3. Annual maintenance plan of Matriana Baragoan road km. 0/0 to 4/0 (SH:- P/L Bitumen concrete 25mm thick in km/RD 2/0 to 4/0 for the year 2018-19.	14,24,107	28,550	Two months	500	Class-D
4. Annual maintenance plan of Chhailla Neripul Yashwant Nagar Oachhat KUmarhatti road km. 0/0 to 18/435 (SH:- (SH:- P/L Bitumen concrete 25mm thick in km/RD 0/0 to 2/0 for the year 2018-19.	14,74,988	29,500	Two months	500	Class-D
5. Annual maintenance plan of Sainj Chopal Nerwa Shallu road km. 0/0 to 20/740 (SH:- P/L Bitumen concrete 25mm thick in km/RD 16/0 to 18/500 for the year 2018-19.	17,83,900	35,700	Two months	500	Class-D
6. Annual maintenance plan of Chhailla Ghoond road km. 0/0 to 16/0 (SH:- P/L Bitumen concrete 25mm thick in km/RD 0/0 to 2/0 for the year 2018-19.	14,61,468	29,250	Two months	500	Class-D

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website **https://hptenders.gov.in.** Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **https://hptenders.gov.in.** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender

3. Key Dates:

1. Date of Online Publication	15/03/2018	10:00 HRS
2. Document Download Start and End Date	15/03/2018 24/03/2018	18:00 HRS upto 18:00 HRS
3. Bid Submission Start and End Date	15/03/2018 24/03/2018	18:00 HRS upto 18:00 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	26/03/2018	10:30 HRS
5. Date of Technical Bid opening, Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.	26/03/2018	11:00 HRS

4. TENDER DETAILS:
The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover:
i) Cover 1: shall contain scanned copies of all **"Technical Documents/ Eligibility Information".**
ii) Cover2: shall contain **"BOQ/Financial Bid",** where contractor will quote his offer for each item.
5. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in O/o Executive Engineer HPPWD Theog H.P as specified in Key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.
6. BID OPENING DETAILS:- The bids shall be opened on **26/03/2018 at 1100 HRS** in the office of **Executive Engineer, Theog Division, H.P.P.W.D., Theog H.P.** by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.
9. The contractors should have requisite machinery such as, Paver & Road Roller etc. or documentary proof of tie up with the owner of such machinery

Adv. No.-4072/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"Notice Inviting Tenders"

Item/percentage rate tender on form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Palampur on behalf of Governor of H.P. for the following works from the approved and eligible contractors/ firms so as to reach this office on or before 29-03-2018 up to 10.30 AM and will be opened on the same day at 11.30 AM in the presence of the intending contractors or their authorized representative. It is also added that if on that day there is a holiday, then the next working day will be taken/considered. The tender forms can be had from this office against cash payment (non-refundable) on 28-03-2018 up to 01.00 PM & it is also added that if on that date there is a holiday, then the previous working day will be taken/considered. The application for the purchase of tender documents should be accompanied with earnest money in the shape of National Saving Certificate/FDR/Call Deposit/ Bank Draft of any Scheduled Bank/Post Office duly pledged in favour of the Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Palampur, GST clearance certificate/NOC from competent authority, Valid enlistment certificate in appropriate class in PWD (E). The application for purchase of tender form should be given with Sr. No. (in words) and Name of Work. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will be rejected. The receipt of application for issue of tender forms by post shall not be entertained/ considered in any case. The tender forms shall be issued to registered contractors or their authorized representatives. The ambiguous/telegraphic/ conditional/fax/E-Mail or by post tenders shall also not be entertained/ considered in any case. The tender shall be issued to only those contractors/firms who are found to eligible, suitable and competent. The decision of the Executive Engineer regarding suitability/eligibility/ competency of contractors/firms shall be final binding on the contractors/firms applying for the issuing of the tender. The offer of the tenders shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reasons.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money (In Rs.)	Time Limit	Form No.	Cost of Form (In Rs.)
1. C/O Panchayti Raj Institute building at Baijnath in Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (HP) (SH:- Balance work of E.I. & accessories etc.	4,75,332/-	9,500/-	Seven days	8	350/-
2. Providing main supply to CBNAAT Machine and Split Type AC 1.5 TR at Civil Hospital Jawalamukhi in Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (HP).	1,99,890/-	4,000/-	One month	8	350/-

Adv. No.-4109/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

हिमाचल में बनेंगे 'एक ईंट शहीद के नाम अभियान' के तहत शहीद स्मारक: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 'एक ईंट शहीद के नाम अभियान' के तहत शहीदों के नाम स्मारक बनाने के लिए लोगों से अपना सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक ईंट शहीद के नाम अभियान के अन्तर्गत हिमाचल के प्रत्येक जिले में शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अभियान के संयोजक संजीव राणा को एक ईंट शहीद के नाम प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी।

मुख्यमंत्री ने अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के अनेक वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर तिरंगे की शान को बढ़ाया है। इस तरह के शहीद स्मारक यदि लोगों की भागीदारी से बनेंगे, तो इसका महत्व अलग ही होगा। सरकार की ओर से इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

अभियान के संयोजक संजीव राणा ने कहा कि इस अभियान के तहत शहीद स्मारक बनाने का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को भी शहीदों की कुर्बानियों से परिचित करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहला शहीद स्मारक बिलासपुर में बनेगा, जिसके निर्माण को लेकर जन अभियान शुरू किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से स्मारक तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के अन्तर्गत किसी से भी नगद राशि प्राप्त नहीं की जाएगी। इसमें लोगों से एक ईंट तथा स्मारक निर्माण सामग्री स्वीकार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में दो शहीद स्मारक निर्मित किए जा चुके हैं। इससे पहले वह लोगों के सहयोग से हरियाणा के करनाल में शहीद राम मेहर अखाड़ा बना चुके हैं, जहां सैंकड़ों युवा कुश्ती के गुर सीख रहे हैं। इसी तरह कुरूक्षेत्र के पिहोवा में भी एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है।

उन्होंने कहा कि जो लोग इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, वे 9815198364 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

वन मंत्री गोविन्द सिंह ने कहा कि इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में शहीद स्मारकों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें लोगों का सहयोग अपेक्षित है।

मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी इस अभियान में अपनी ओर से एक ईंट शहीद के नाम भेंट की।

नाचन तथा कुल्लू के लिए 6 करोड़ की इको-रिस्टोरेशन परियोजनाएं: वन मंत्री

शिमला/शैल। वन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा कि हिमालयन अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन ने विकृत वन भूमि को इको मॉडल बनाने के लिए वन मॉडल कुल्लू के लिए 3 करोड़ रुपये की इको-रिस्टोरेशन तथा स्तरोन्नयन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार, मिशन ने मण्डी जिला के वन मण्डल नाचन में भी 3 करोड़ रुपये की इको-रिस्टोरेशन परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि परियोजना में विकृत वन क्षेत्रों के इको-रिस्टोरेशन पर बल दिया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से परियोजना के संबंध में दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक प्रक्रिया व औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में इस परियोजना के कार्यान्वित होने से वनक्षेत्र को नई संजीवनी मिलेगी।

वन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के वन क्षेत्र को बढ़ाने के भरसक प्रयास कर रही है और यह कार्य सभी हितधारकों की सक्रिया सहभागिता से संभव होगा। वन न केवल प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वन हवा में कार्बन की बढ़ती मात्रा को कम करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनों के अभाव में जीवन असंभव है और प्रत्येक व्यक्ति को वनों के संरक्षण तथा वन लगाने में सहयोग करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि वन विभाग न केवल वन लगाने की गतिविधियों में भाग ले रहा है, बल्कि इस्तेमाल न की जाने वाली वन भूमि का जीर्णोद्धार तथा स्तरोन्नयन कर हरा-भरा बनाने का कार्य भी कर रहा है। राज्य सरकार ने जिला मण्डी के नाचन वन मण्डल तथा कुल्लू वन मण्डल के लिए 6 करोड़ रुपये की इको-रिस्टोरेशन परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की है।

सिराज विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के विश्राम गृहों के लिये एक करोड़ जारी वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य के विभागीय विश्राम गृहों को अपग्रेड कर इन्हें सुविधाजनक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मण्डी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग के विश्राम गृहों की मुरम्मत तथा अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिये एक करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है। इन विश्राम गृहों में रैण-गलू, पंजाई, जंजैहली, बिजाई तथा चौलचौक शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन विश्राम गृहों की मुरम्मत व अतिरिक्त निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

राज्य की आर्थिकी में लाएंगी बदलाव दो मैगा परियोजनाएं:महेन्द्र सिंह

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने दो मैगा परियोजनाएं तैयार की हैं, जिनमें जल संरक्षण के माध्यम से किसानों की आय को दोगुणा करना तथा दूसरी पारियोजना राज्य के निचले पर्वतीय भागों में उप-उष्णकटिबंधीय बागवानी शामिल हैं। इन परियोजनाओं को शीघ्र बाह्य वित्तपोषण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यह जानकारी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में सब-ट्रोपिकल फलों के अन्तर्गत केवल 81394 हेक्टेयर क्षेत्र है, जो राज्य में फल उत्पादन के अधीन कुल क्षेत्र का केवल 34 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए तथा किसानों को फलों की खेती अपनाने के लिए राज्य के निचले पहाड़ी क्षेत्रों में उप-उष्णकटिबंधीय बागवानी के संवर्द्धन के लिए एक महत्वकांक्षी परियोजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि परियोजना के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के माध्यम से ब्रिक्स तथा एशियन विकास बैंक इत्यादि बाह्य एजेंसियों को परियोजना के पहले चरण के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत पौध सामग्री आईसीएआर संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा देश तथा देश के बाहर स्थित निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नर्सरियों से प्राप्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की रोपण सामग्री विभागीय नर्सरियों में भी तैयार कर किसानों को वितरित की जाएगी। इसके अलावा, किसानों को वितरण के लिए अच्छी किस्म की पौध सामग्री में गुणात्मक बढ़ौतरी की जाएगी जिसके लिये सरकारी नर्सरियों में बड वुड बैंक तथा उप- उष्णकटिबंधीय फलों की बेहतर किस्मों के बागीचे स्थापित किए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत खुले क्षेत्रों तथा सुरक्षित ढांचों के अधीन सब्जियों तथा फूलों के वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, किसानों को लाभान्वित करने के लिए फसल तैयार होने पर प्रभावी प्रबन्धन तथा विपणन सुविधाओं का सृजन किया जाएगा।

ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आय को दोगुणा करने के प्रयास कर रही है, जिसके लिए सरकार ने किसानों की आय को जल संरक्षण के माध्यम से दोगुणा करने के लिए भी एक परियोजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि 110 मिलियन यूएस डालर की पहले चरण की योजना तैयार कर ली गई है और भारत सरकार के माध्यम से बाह्य वित्तपोषण के लिए भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत जल संरक्षण पर बल दिया जाएगा, ताकि इसका प्रभावी तौर पर सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से किसानों को नकदी फसलों की खेती करने में मदद मिलेगी और सिंचाई के लिए उनकी वर्षा पर निर्भरता कम होगी।

मंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत जल संरक्षण तथा प्राकृतिक जल स्त्रोतों की रिचार्जिंग के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाया जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भारत सरकार के साथ दोनों परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से उठाने के निर्देश दिए ताकि इन्हें शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने कहा कि ये परियोजनाएं कार्यान्वित होने पर राज्य के किसानों को वरदान साबित होंगी, क्योंकि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों की खेती को अपनाने की स्थिति में होंगे।

आयुर्वेद चिकित्सकों के 200 पद स्वीकृत

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से पर्याप्त एवं कार्यशील श्रम शक्ति उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि लोगों को समीपवर्ती स्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों का संरचनात्मक विकास भी सुनिश्चित बनाया जाएगा और इसके लिये अभी से प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हाल ही में चिकित्सकों के 400 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 200 पद एलोपैथी व 200 पद आयुर्वेद चिकित्सकों के हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने शासनकाल के छोटे से अर्से में डाक्टरों के इतनी बड़ी संख्या में पद स्वीकृत करने के लिये मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और डाक्टरों के 179 पदों को भरा जा चुका है, जबकि शेष 21 पद शीघ्र भर दिए जाएंगे। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सकों के स्वीकृत 200 पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने के लिये विभाग को निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कांगड़ा जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र सलाह-जंदरा का नाम शहीद जगदीश सिंह राणा के नाम पर रखने के लिये भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस निर्णय से शहीदों का सम्मान किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कुल पांच मेडिकल कालेज हैं और वह चाहते हैं कि हमीरपुर कालेज भी शीघ्र क्रियाशील बनें। उन्होंने कहा कि इन कालेजों का संचालन और बेहतर सुनिश्चित बनाया जाएगा।

परमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिये 100 दिनों के लिये निश्चित लक्ष्यों के पूरा होने पर विभाग की कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा और साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर बल दिया जा रहा है। निर्माणाधीन परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों व निर्माण ऐजेन्सियों को जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों व चिकित्सा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे सभी स्वास्थ्य केन्द्रों व संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करें, कमियों की रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें और निजी स्तर पर भी व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित बनाएं।

खराब राशन पर की जाएगी कड़ी कारवाई: किशन कपूर

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के राशनकार्ड धारकों को गुणात्मक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है। वह भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उचित मूल्य की दुकानों व निगम के भण्डारणों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित बनाएं, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त एवं मानदण्डों के अनुरूप खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।

मंत्री ने कुछ उचित मूल्य की दुकानों पर चावलों की घटिया आपूर्ति पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गुणवत्तायुक्त चावल की आपूर्ति सुनिश्चित बनाए। उन्होंने डिपो में पाए गए घटिया किस्म के चावल की उपलब्धता की जांच के भी आदेश दिए हैं।

कपूर ने राशनकार्ड धारकों से भी आग्रह किया कि यदि उन्हें उचित मूल्य की दुकानों पर सही प्रकार की खाद्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है, तो वे विभाग के टॉल फ्री नम्बर 1967 पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने डिपो धारकों से भी कहा कि वे निगम के गोदामों से खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते समय ध्यान रखें कि वे सही व गुणात्मक खाद्य वस्तुयें ही प्राप्त कर रहे हैं।

मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से उचित मूल्य की दुकानों व निगम के गोदामों का निरीक्षण सुनिश्चित बनाएं, ताकि उपभोक्ताओं को गुणात्मक खाद्य वस्तुयें उपलब्ध हो सकें।

ई-गवर्नेंस में हिमाचल को तीन पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने तीन परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें पेपरलेस विधानसभा/ई-विधानसभा, रोहतांग पास परमिट जारी करने (एमआईएस) तथा ईएचआरएमएस -मानव सम्पदा शामिल हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हैदराबाद (तेलंगाना) में 26 व 27 फरवरी, 2018 को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत के ई-गवर्नेंस शाखा द्वारा ई-गवर्नेंस पर आयोजित 21 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किए गए। हिमाचल से इस सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार की सचिव डा. पूर्णिमा चौहान के नेतृत्व में एक दल ने भाग लिया।

जिसकी आत्मा संयमित होती है, वही आत्मविजयी होता है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

मोदी की विश्वसनीयता सवालो में

पंजाब नैशनल बैंक का स्कैम सामने आने के बाद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पूरी सरकार बैंक फुट पर आ गयी है। जो भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त करने का ऐजैण्डा लेकर चली थी वह आज भाजपा शासित राज्यों राजस्थान और मध्यप्रदेश में लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव हार गयी है और वह भी कांग्रेस के हाथों। इस बैंक स्कैम के सामने आने के बाद जिस तरह से कुछ भाजपा नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए इसके लिये पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया उससे ही पूरी मोदी सरकार स्वत: ही सन्देह के घेरे में आ जाती है। क्योंकि इस स्कैम की जांच उस समय शुरू हुई जब इसका मुख्य आरोपी देश छोड़कर भाग गया। यही नहीं जब नीरव मोदी और नरेन्द्र मोदी की निकटता की चर्चा उठी तब इस स्कैम की जांच एसआईटी से करवाई जाने के लिये एक जनहित याचिका दायर हुई तब सरकार के अर्टानी जनरल के.के. बेनुगोपाल ने एसआईटी गठित जाने को यह कहकर स्वीकार कर दिया कि इसकी जांच ठीक हो रही है।

इस समय जो जांच हो रही है वह सीबीआई कर रही है और वह इस पक्षपर जांच नही करेगी कि नीरव मोदी और नरेन्द्र मोदी में कोई निकटता रही है तथा उसका लाभ नीरव मोदी ने उठाया है। जबकि आरोप यह लगे है कि प्रधानमन्त्री जब बर्लिन के दौर पर थे उस समय नीरव मोदी की ब्रांड एम्बेसेडर प्रियंका चोपड़ा प्रधानमन्त्री से मिली थी और इस मिलने की व्यवस्था नीरव मोदी ने की थी। राफेलडील को लेकर जो आक्रामकता राहूल गांधी ने दिखाई है वह बेबुनियाद नही है। चर्चा है कि इस सौदे में भी नीरव मोदी की भूमिका है। प्रधानमन्त्री को जो पांच लाख का कोट भेंट किया गया था वह भी नीरव मोदी के ही किसी ने दिया था और बाद में उसकी नीलामी में भी उसी की भूमिका रही है। यह आरोप भी उछला है कि इस बैंक स्कैम की जानकारी पीएमओ को 2015 में ही हो गयी थी 2016 में तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बारे में बैंगलूरू के एक उद्यमी हरि प्रसाद ने प्रधानमन्त्री कार्यालय को दे दी थी लेकिन जांच नही हुई इससे यही प्रमाणित होता है कि नीरव मोदी और प्रधानमन्त्री के बीच निकटता रही है। इन सारे सन्देहों की जांच तो केवल एसआईटी ही कर सकती थी लेकिन यह जांच न होने देकर इन आरोपों को और हवा मिलती है।

फिर अब जब सत्तापक्ष इस स्कैम की शुरूआत कांग्रेस के कार्यालय से कर रहा है तब वह यह भूल रहा हैं कि आरोपी कांग्रेस के समय में नही बल्कि मोदी-भाजपा के कार्यालय में भागा है। कांग्रेस के कार्यालय में तो वह बैंक को पैसे लौटाता रहा जो उसने मोदी की सरकार आने के बाद बन्द कर दिये। यह तो संभव हो सकता है कि जब वह कांग्रेस के कार्यालय से व्यवसाय कर रहा था तो इसके संबंध कांग्रेस के नेताओं से भी रहे होंगे क्योंकि हर व्यवसायी हर पार्टी से अपने रिश्ते रखता है और उसे चंदा भी देता है। यह बिजनैश मैन का स्वभाव होता है लेकिन इससे उस पार्टी और नेता को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। फिर देश में सत्ता परिवर्तन तो तभी हुआ जब कांग्रेस और सहयोगीयों को भ्रष्टाचार का पर्याय करार दे दिया गया था। लेकिन मोदी और भाजपा को इसीलिये सत्ता सौंपी गयी थी कि वह पूरी चौकसी रखेंगे परन्तु इसी चौकसी में ललित मोदी, विजय माल्या तथा नीरव मोदी देश छोड़कर भागे क्यों? 2जी स्कैम जिसे यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गया था उसमें प्रारम्भिक गिरफ्तारियां तो मनमोहन सिंह के ही कार्यालय में हुई थी लेकिन उसकी पूरी जांच और अदालत में पैरवी तो मोदी शासन में हुई और सारे लोग बरी हो गये।

इस पृष्ठभूमि में यदि मोदी के कार्यालय का आंकलन किया जाये तो सरकार किसी भी कसौटी पर खरी नही उतरती है क्योंकि जो 12 लाख करोड़ का कालाधन होना अन्ना आन्दोलन में प्रचारित किया गया था जिसके वापिस आने से 15-15 लाख हर खाता धारक को दिये जाने का वायदा किया गया था वह सब हवाई निकला। यही नही अब तो नोटबंदी को लेकर यह धारणा पक्की हो गयी है कि यह कदम हर आदमी की जमापूंजी को इस माध्यम से बैंको में वापिस लाने का सफल प्रयास था। इसी पैसे के दम पर एनपीए से संकट में आये बैंको को 'बेल इन' का प्रावधान लाकर उबारने का माध्यम बनाया जा रहा था। इसी एनपीए से उबारने के लिये पांच बैंको का 67000 करोड़ राईट ऑफ कर दिया गया और सरकार ने स्पष्टीकरण दिया यह माफ नही किया गया है। क्या राईटऑफ करने के बाद यह कर्जदार इस पैसे को बैंको को वापिस दे देगे? यह तो एक सामान्य सी समझ की बात है कि जब कोई कर्ज नीयत समय के भीतर वापिस न किया जाये वह 90 दिन के बाद एनपीए हो जाता है और जब इसके वापिस आने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है तब इसे राईटऑफ कर दिया जाता है। यह एनपीए आज 6लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है और यह धन बहुत कम लोगों के पास है लेकिन यह सब समाज के बड़े और प्रतिष्ठित लोग हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही इनकी दांयी और बांई जेब में होते हैं। यदि निष्पक्षता और ईमानदारी से देखें तो सरकार का हर बड़ा फैसला परोक्ष/अपरोक्ष में इन्ही के लिये लिया जाता है। आज जो बड़ी कंपनीयां और उद्योगपति अपने को दिवालीया घोषित किये जाने के आवेदन कर रहे हैं वह लोग दिवालीया घोषित होने के बाद भुखमरी और आत्महत्या के कगार पर आ जायेंगे? नही। उनके पास पीढ़ीयों तक हर साधन उपलब्ध रहेंगे। दिवालीया घोषित होना तो अप्रत्यक्षत कुछ पैसे को अपरोक्ष में डकाने का माध्यम है क्योंकि उनके लिये यह प्रावधान किया गया है। भुखमरी और आत्महत्या तो गरीब किसान के हिस्से में है। आज जब सरकार ने 95 करोड़ से ऊपर के हर कर्ज की जांच किये जाने की बात कही है तो क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पब्लिक का कोई पैसा एनपीए नही होने दिया जायेगा। 'बेल-इन' और 'बेल आऊट' जैसे प्रावधान नही लाये जायेंगे। क्योंकि जब परोक्ष-अपरोक्ष में पब्लिक मनी को डकराने के प्रावधान किये जाते हैं तो उसका लाभ उठाने वाले पहले ही तैयार खड़े मिलते हैं। इसलिये आज पीएनबी का स्कैम सामने आने के बाद वित्तिय मामलों में प्रधानमन्त्री मोदी को अपनी विश्वसनीयता बहाल रखने के लिये अपनी सरकार के फैसलों पर फिर से विचार करना होगा अन्यथा समय मोदी और भाजपा दोनों को ही क्षमा नही करेगा।

श्रमिक कल्याण एवं औद्योगिक शांति के लिए श्रम कानूनों का कारगर कार्यान्वयन

प्रदेश सरकार संगठित व असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। इसके लिए राज्य में अनेक श्रमिक कानूनों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया गया है ताकि प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को उनके न्यायोचित लाभों से वंचित न रखा जा सके तथा प्रदेश में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल भी उपलब्ध हो सके।

प्रदेश सरकार संगठित व असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। इसके लिए राज्य में अनेक श्रमिक कानूनों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया गया है ताकि प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को उनके न्यायोचित लाभों से वंचित न रखा जा सके तथा प्रदेश में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल भी उपलब्ध हो सके।

औद्योगिक घरानों में नियमित निरीक्षण कर श्रम कानूनों की उचित अनुपालना की जा रही है तथा उल्लंघन करने पर सक्षम न्यायालयों में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हिमाचल प्रदेश अनुबंध श्रमिक (नियंत्रण एवं उन्मूलन) नियम, 1974 तथा हिमाचल प्रदेश न्यूनतम दिहाड़ी नियम, 1978 में संशोधन किया है। इसके तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार के श्रम अधिकारियों द्वारा सत्यापित पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य बनाया गया है। इन संशोधनों के फलस्वरूप रोजगार प्रदाता तथा ठेकेदार अपने श्रमिकों को वैधानिक भुगतान प्रदान करने के उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम दिहाड़ी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत वर्ष 1958 से अधिसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी में निरन्तर वृद्धि की है तथा आज प्रदेश में अधिसूचित रोजगार में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित श्रमिकों की न्यूनतम दिहाड़ी 6300 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों तथा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम दिहाड़ी में 25 से 45 प्रतिशत तक अधिक निर्धारित की गई है।

हिमाचल प्रदेश देश के ऐसे कुछ राज्यों में है जहां श्रमिकों की दिहाड़ी का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि उनके शोषण को रोका जा सके तथा इसके लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अनुबंध श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार अनुबंध श्रमिक (नियंत्रण एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम अधिकारियों को पंजीकरण एवं लाईसेंस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

फैक्टरी अधिनियम, 1948, अनुबंध श्रमिक (नियंत्रण एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 तथा हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग व नवीनीकरण को ऑनलाईन कर इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।

प्रदेश सरकार ने राज्य निरीक्षण योजना को भी अंतिम रूप दे दिया है ताकि सभी श्रम नियमों के अंतर्गत औद्योगिक घरानों का निरीक्षण एक साथ किया जा सके और औद्योगिक घरानों का बार-बार निरीक्षण न हो।

प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं की सुविधा के लिए सभी 74 रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचली युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने जॉब पोर्टल विकसित किया है, जिसमें पंजीकृत अभ्यार्थियों के बारे में समुचित जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा नियमित रूप से एक निजी रोजगार प्रदात्ता के लिए कैंपस इंटरव्यू तथा निजी क्षेत्र के अनेक रोजगार प्रदात्ताओं के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां निजी क्षेत्र के रोजगार प्रदात्ताओं एवं रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को विभिन्न स्थानों पर एकत्रित किया जाता है, ताकि युवाओं को उनके घरों के समीप साक्षात्कार की सुविधा मिल रही है।

प्रदेश में ऐसा माहौल सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां श्रमिकों को बेहतर सेवा शर्तें मिलें, उनका कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरक्त राज्य में औद्योगिकीकरण, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित हो तथा प्रदेश में परस्पर सहयोग एवं सहभागिता से औद्योगिक शांति व सौहार्द भी बना रहे।

100 करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्य के भगौड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति की जाएगी जब्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने संसद में भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को रखने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इस विधेयक में भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने में मदद मिलेगी।

ऐसे अपराधों में कुल 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्य के ऐसे अपराध इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएंगे।

इस विधेयक से भगौड़ा आर्थिक अपराधियों के संबंध में कानून के राज की पुर्नस्थापना होने की संभावना है क्योंकि इससे उन्हें भारत वापस आने के लिए बाध्य किया जाएगा और वे सूचीबद्ध अपराधों का कानूनी सामना करने के लिए बाध्य होंगे। इससे ऐसे भगौड़ा आर्थिक अपराधियों द्वारा की गई वित्तीय चूकों में अंतर्विष्ट रकम की उच्चतर वसूल करने में बैकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी मदद मिलेगी और ऐसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

यह आशा की जाती है कि भगोड़े अपराधियों द्वारा भारत और विदेशों में उनकी संपत्तियों को तेजी से जब्त करने के लिए उन्हें भारत लौटने और सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में कानून का सामना करने के लिए भारतीय न्यायालयों के समक्ष पक्ष रखने के लिए एक विशेष तंत्र का सृजन हो सकेगा।

- **किसी व्यक्ति के भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना**
- **अपराध के जरिए भगौड़ा आर्थिक के रूप में घोषित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना**
- **भगौड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना**
- **अपराध के फलस्वरूप व्युतपन्न संपत्ति के चलते भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना**
- **ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्ति को जब्त करना**
- **भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना, और**
- **अधिनियम के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए एक प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी।**

तथापि, ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति के भगौड़ा घोषित होने के पूर्व किसी भी समय कार्यवाही की प्रक्रिया के समानांतर भगौड़ा आर्थिक अपराधी भारत लौट आता है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो उस स्थिति में प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत कानूनन कार्यवाही रोक दी जाएगी। सभी आवश्यक संवैधानिक रक्षा उपाय जैसे अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, उत्तर दाखिल करने के लिए समय प्रदान करना, उसे भारत अथवा विदेश में समन भिजवाना तथा उच्च न्यायालय में अपील करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए प्रशासन की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।

वर्तमान कानूनों में व्याप्त कमियों के परिहार व भारतीय न्यायलयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनों की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति के निरोधात्मक तय करने के दृष्टिगत, यह विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है। इस विधेयक में किसी व्यक्ति को भगौड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए इस विधेयक में एक न्यायालय (धन–शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विशेष न्यायालय) का प्रावधान किया गया है। भगौड़ा आर्थिक अपराधी से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरूद्ध किसी सूचीबद्ध अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है और जिसने आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है अथवा विदेश में रह रहा है और आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत लौटने से इंकार कर रहा है। आर्थिक अपराधों की सूची को इस विधेयक की तालिका में अंतर्विष्ट किया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मामले में न्यायालयों पर कार्य का ज्यादा भार न पड़े, केवल उन्हीं मामलों की इस विधेयक की परिसीमा में लाया गया है, जहां ऐसे अपराधों में कुल 100 करोड़ रुपए या अधिक की राशि अन्तर्विष्ट हो।

आर्थिक अपराधियों के ऐसे अनेक मामले घटित हुए हैं जहां भारतीय न्यायालयों को न्याय क्षेत्र से भागने, आपराधिक मामलों के शुरूआत की प्रत्याशा अथवा मामले अथवा आपराधिक कार्यवाही को लंबित करने के दौरान आर्थक अपराधी भाग निकला है। भारतीय न्यायालयों के ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति का कारण अनेक विषय परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो, जैसे प्रथमत: इससे आपराधिक मामलों में जांच रूक सी जाती है, दूसरे, इससे न्यायालयों का मूल्यवान समय बर्बाद होता है, तीसरे, इससे भारत में कानून के राज का अवमूल्यन होता है। इसके अलावा, आर्थिक अपराध के अधिकांश ऐसे मामलों में बैंक ऋणों की गैर – अदायगी शामिल होती है, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बदतर हो जाती है। इस समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए कानून के वर्तमान सिविल और आपराधिक प्रावधान पूर्णत: पर्याप्त नहीं हैं। अतएव, ऐसी कार्यवाहियों की रोकथाम सुनश्चित करने के लिए प्रभावी, तीव्रतम और सवैधानिक दृष्टि में मान्य प्रावधान किया जाना आवश्यक समझा गया है। यहां उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में गैर – दोषसिद्धि – आधारित संपत्ति के जब्त करने की प्रवृत्ति अपराध के प्रति यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन (भारत द्वारा 2011 में मान्य) से अनुसमर्थित है। विधेयक में इसी सिद्धांत को अंगीकार किया गया है। उपरोक्त संदर्भ के मद्देनजर, सरकार द्वारा बजट 2017 – 18 में यह घोषणा की गई थी कि सरकार विधायी संशोधन लाने अथवा जब तक ऐसे अपराधी समुचित विधि न्यायालय मंच के समक्ष समर्पण नहीं करता, ऐसे अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए नया कानून तक लाया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

व्यक्तियों की तस्करी विधेयक, 2018 को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है।

➪ विधेयक रोकथाम, बचाव तथा पुनर्वास की दृष्टि से तस्करी समस्या का समाधान प्रदान करता है।

➪ तस्करी के गंभीर रूपों में जबरदस्ती मजदूरी, भीख मांगना, समय से पहले यौन परिपक्वता के लिए किसी व्यक्ति को रासायनिक पदार्थ या हारमोन देना, विवाह या विवाह के छल के अंतर्गत या विवाह के बाद महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी शामिल है।

➪ व्यक्तियों की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी में सहायता के लिए जाली प्रमाण – पत्र बनाने, छापने, जारी करने या बिना जारी किए बांटने, पंजीकरण या सरकारी आवश्यकताओं के परिपालन के साक्ष्य के रूप में स्टीकर और सरकारी एजेंसियों से मंजूरी और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए जालसाजी करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है।

➪ पीड़ितों/गवाहों तथा शिकायत करने वालों की पहचान प्रकट नहीं करके गोपनीयता रखना। पीड़ित की गोपनीयता उनके बयान वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज करके बरती जाती है। (इससे सीमा पार और अन्तर राज्य अपराधों से निटपने में मदद मिलती है)

➪ समयबद्ध अदालती सुनवाई और पीडितों को वापस भेजना – संज्ञान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर।

➪ बचाये गये लोगों की त्वरित सुरक्षा और उनका पुनर्वास। पीडित शारीरिक, मानसिक आघात से निपटने के लिए पीडित 30 दिनों के अन्दर अंतरिम सहायता का हकदार है और अभियोगपत्र दाखिल करने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर उचित राहत।

➪. पीड़ित का पुनर्वास अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू होने या मुकदमें के फैसले पर निर्भर नहीं करता।

➪ पहली बार पुनर्वास कोष बनाया गया। इसका उपयोग पीड़ित के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल के लिए होगा। इसमें उसकी शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक समर्थन, कानूनी सहायता और सुरक्षित निवास आदि शामिल हैं।

➪ मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत।

➪ यह विधेयक जिला, राज्य तथा केन्द्र स्तर पर समर्पित संस्थागत ढांचा बनाता है। यह तस्करी की रोकथाम, सुरक्षा जांच और पुनर्वास कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी विरोधी ब्यूरो के कार्य करेगा।

➪ सजा न्यूनतम 10 वर्ष सश्रम कारावास से आजीवन कारावास है और एक लाख रुपये से कम का दंड नहीं है।

➪ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गठजोड़ को तोड़ने के लिए संपत्ति की कुर्की जब्ती तथा अपराध से प्राप्त धन को जब्त करने का प्रावधान है।

➪ यह विधेयक अपराध के पारदेशीय स्वभाव से व्यापक रूप से निपटता है। राष्ट्रीय तस्करी विरोधी ब्यूरो विदेशी देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों के साथ अंतरराष्ट्रीय तालमेल करेगा, जांच में अंतरराष्ट्रीय सहायता देगा,साक्ष्यों और सामग्रियों, गवाहों के अंतरराज्य, सीमापार स्थानातंरण में सहायता देगा और न्यायिक कार्यवाहियों में अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय वीडियो कांफ्रेंसिंग में सहायता देगा।

मानव तस्करी बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। इस अपराध से निपटने के लिए अभी तक कोई विशेष कानून नहीं है। इसको देखते हुए व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा तथा पुनर्वास) विधेयक, 2018 तैयार किया गया है। यह विधेयक अत्यंत कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर महिला एवं बच्चों को, प्रभावित करने वाले घृणित और आश्य अपराधों से निपटने का समाधान प्रदान करता है।

नया कानून भारत की तस्करी से मुकाबला करने में दक्षिण एशियाई देशों का नेतृत्वकर्ता बनाएगा। तस्करी एक वैश्विक चिंता है और इससे अनेक दक्षिण एशियाई देश प्रभावित हैं। इन देशों में भारत व्यापक विधेयक तैयार करने वाला अग्रणी देश है। यूएनओडीसी तथा सार्क देश भारत की ओर नेतृत्व के लिए देख रहे हैं। यह विधेयक मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करके तैयार किया गया है। इस विधेयक में महिला और बाल विकास मंत्रालय को प्राप्त सैंकड़ों याचिकाओं में दिए गये सुझावों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। 60 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ क्षेत्रीय परामर्श दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में किया गया।

पसूका

वीरभद्र सरकार के घोटालों की जांच शुरू, शराब कारोबारियों की बल्ले–बल्ले

शिमला/शैल। जयराम ठाकुर सरकार ने पिछली वीरभद्र सरकार की सरकार में हुए घोटालों की जांच का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके अलावा शराब के कारोबारियों के भी जयराम सरकार ने मजे लगा दिया है।

जयराम केबिनेट ने वीरभद्र सरकार में दो गोल्ड रिफाइनरियों को सवा चौदह करोड़ के एंट्री टैक्स को वापस करने के मामले की विजीलेंस जांच कराने का फैसला लिया है। इससे पूर्व आबकारी मंत्री प्रकाश चौधरी और कई अधिकार संकट में आ सकते हैं। इसके अलावा बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई रियायत योजना और जिला सोलन के चंबाघाट में सर्किट हाउस और अस्पताल भवन के निर्माण की भी जांच के फैसला लिया है। इन भवनों का निर्माण पिछली वीरभद्र सरकार में बिना मंत्रिमंडल की मंजूरी के शुरू कर दिया गया था।

याद रहे पिछली वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में जिला हमीपुर के नादौन स्थित नवतेड़ा टपपा कोहला गांव के मानपुर चौक पर एंट्री कर के रूप में एजी गोल्ड और सिल्वर रिफाइनरी नामक दो फर्मो से 14 करोड़ के करीब टैक्स वसूला जाना था। इस बावत इन दोनों फर्मो को वसूली के लिए नोटिस भी दिए गए। इस बीच दोनों फर्मो ने वीरभद्र सिंह सरकार को एक ज्ञापन दिया और उतराखंड सरकार के फैसले का हवाला देकर कहा कि वहां पर स्टॉक में सोने की छड़ों पर एंट्री टैक्स नहीं लगता है। इस टैक्स को जमा न कराने का आग्रह किया। एजी गोल्ड को 2013–14 और 24–15 के 8 करोड़ 45 लाख 76 हजार 466 रुपए व सिल्वर रिफाइनरी को 2010 से लेकर 2016 तक पांच करोड़ 65 लाख 21 हजार रुपए का कर देना था। लेकिन वीरभद्र सिंह सरकार ने यह सारा कर मंत्रिमंडल की बैठक में माफ कर दिया।

जयराम मंत्रिमंडल ने के अपने फैसले में दो गोल्ड रिफाइनरीज के लिए कर की वापसी की योजना रद्द कर दी जाए और देय राशि के लिए अपराधिक षड़यंत्र रचने की जांच विजिलेंस विभाग द्वारा की जाएगी और अपराधी की पहचान कर कानून के अनुसार दण्डित किया जाएगा।

इन दोनों गोल्ड रिफाईनरी इकाइयों को कर के रूप में 14,10,98,423 रुपये की बकाया राशि जमा करनी

होगी। यहभी निर्णय लिया गया कि राज्य में बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनरूद्धार के लिए प्रोत्साहन योजना की भी इसी प्रकार जांच करने का फैसला लिया। विजीलेंस जांच शुरू करने के इन फैसलों के अलावा मंत्रिमण्डल ने आबकारी नीति, 2018–19 को भी स्वीकृति प्रदान की।

आबकारी नीति से राज्य के राजस्व में वर्ष 2018–19 में लगभग 1552.88 करोड़ रुपए अर्जित करने में सहायता मिलेगी, जो वर्ष 2017–18 में अर्जित राजस्व से 271.33 करोड़ अधिक है अर्थात इसमें 21.17 प्रतिशत की समुचित वृद्धि होगी। व्यापार में सुगमता की नीति के अनुरूप सोर्स लाइसेंस प्राप्त करने की शर्तो को आसान किया गया है तथा आबकारी करों की संख्या में भी कटौती की गई है।

जहां तक परचून विक्रेताओं का सम्बन्ध है, उन्हें अनलिफटिड मिनिमम ग्रांटेड कोटा की शर्तो में राहत प्रदान करते हुए बड़ी छूट दी गई है। आबंटन के समय परचून विक्रेताओं के लिए तय की गई सिक्योरिटी राशि को 18 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत किया गया है। यह निर्णय परचून विक्रेता व्यापार में निवेश के लिए पर्याप्त वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता सुनिश्चित बनाएगा ।

मंत्रिमण्डल ने सत्त वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस वर्ष से पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से रिटेल वैंड के आबंटन को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र रूप से होटलों तथा रेस्तराओं में बीयर उत्पादन के लिए माइक्रोब्रिवरी की स्थापना की नीति को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य कच्ची सामग्री व बीयर पर आयात शुल्क कम करके तथा शराब की बिक्री (सीएल–कन्ट्री लिक्वर तथा आईएमएफएल–इण्डियन मेड फोरेन लिक्वर) पर अधिकतम बिक्री मूल्य प्रणाली लागू करके यह सुनिश्चित बनाया गया है। इससे लाईसेंस धारकों के बीच स्वच्छ तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आएगी। दरों को सभी परचून दुकानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य के लोगों के कल्याण के दृष्टिगत सीएल की प्रति बोतल पर एक रुपया तथा आईएमएफएल की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर 2 रुपये एकत्र किए जाएंगे, जिसे क्रमश: एम्बुलेंस सेवाएं निधि तथा स्थानीय निकायों के कल्याण के लिए आबंटित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में वाइन उत्पादकों को उनके उत्पाद सीधे तौर पर परचून विक्रेताओं तथा बार में विक्री की अनुमति का निर्णय लेकर उन्हें बड़ी राहत प्रदान की गई है। वाईन उद्योग तथा बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक आबकारी करों को कम किया गया है तथा परिवहन शर्तों में भी छूट दी गई है, और साथ ही राज्य के बाहर तैयार की गई वाईन पर आयात शुल्क में बढ़ौतरी की गई है।

बैठक में आयुर्वेद विभाग में अनुबन्ध आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए 100 पद बैचवाईज तथा 100 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। यह निर्णय राज्य के लोगों को उनके घरद्वार के समीप आयुर्वेद चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में मददगार होगा।

बैठक में किसानों को ऋण सुविधा के लिए हि.प्र. राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक सीमित के पक्ष में राज्य सरकार की 325 करोड़ रुपये के गारंटी समर्थन 31 मार्च, 2019 तक जारी रखने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के सलाह जन्द्राह स्थित राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम शहीद जगदीश सिंह राणा के नाम पर रखने का निर्णय लिया, जो शहीद के लिये श्रद्धांजलि होगी।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 12 पद भरने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला में पांच पद लैब तकनीशियन, एक पद अधीक्षक श्रेणी–2, एक पद वरिष्ठ सहायक तथा एक पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक आई.टी के भरने के लिये स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में दो पद बागवानी प्रभारी और आयुर्वेदिक विभाग में एक पद सहायक वनस्पतिज्ञ के भरने का निर्णय लिया गया।

धारा 118 पर लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस:सत्ती

शिमला/शैल। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार पर धारा 118 को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर चुनौती देते हुए कहा कि पिछली धूमल सरकार के दौरान जमीन बेचने का एक भी मामला हो तो बताएं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि धारा 118 पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है उसे पहले अपने कुनबे को संभालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा बार–बार दिए जा रहे ब्यानों पर कटाक्ष करते हुए सत्ती ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का शासन चला गया है लेकिन उसके नेता वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए आए दिन मीडिया में ब्यानबाजी कर रहे हैं।

सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस द्वारा सांसदों से हिसाब मांगने पर कहा कि जो लोग 70 साल का हिसाब जनता को नहीं दे पाए, वो आज हिसाब की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले जनता को यह बताएं कि उन्होंने प्रदेश के लिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट

लाया है। उन्होंने सीएम जयराम की काबिलियत पर विपक्षी नेताओं द्वारा अंगुली उठाने को लेकर कहा कि जयराम लगातार पांचवी बार अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से चुनकर आए हैं तथा वे अच्छी तरह सरकार ही नहीं चला रहे हैं बल्कि आगामी 15 वर्षो तक प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे।

उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सरकार को लेकर दुष्प्रचार करने की बजाय एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सीएम के कार्यालय में ईमानदार और जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं तथा प्रदेश में किसी भी स्तर माफिया राज को छूट नहीं देंगे। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग नशे के कारोबार में पकड़े गए है तथा आठ हजार गेहूं की बोरी डकारने वाले लोग भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने महिला तथा पुरुष कबड्डी टीमों को पदक जीतने पर दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की महिला टीम को आंध्रप्रदेश में विगत 25 से 28 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तथा पुरुष कबड्डी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। आंध्रप्रदेश के पैड़ावादलापुड़ी में हुई प्रतियोगिता में महिला टीम ने स्वर्ण जबकि पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता।

अन्तिम मुकाबले में हिमाचल की महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने हरियाणा को 47–35 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में हिमाचल ने पंजाब को 55–27 से पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक पदक हासिल करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा व कौशल प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है।

हि.प्र. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाए 15802 मामले

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 28 फरवरी, 2018 तक दायर कुल 22620 मामलों में से 14428 मामलों का अन्तिम निपटारा किया है। ट्रिब्यूनल के प्रवक्ता ने कहा कि इसके अतिरिक्त 404 अवमानना याचिकाएं, 25 समीक्षा याचिकाएं, 35 निष्पादन याचिकाएं तथा 6408 विविध आवेदनों का निपटारा भी इसी अवधि के दौरान किया गया है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त 6455 मामलों में से 1374 मामलों का अन्तिम निपटारा किया गया है।

उद्योग विभाग के भूगर्भीय शाखा में एकल खिड़की प्रणाली लागू

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने उद्योग विभाग की भूगर्भीय शाखा में एकल खिड़की प्रणाली स्थापित की है, जो यह सुनिश्चित बनाएगी कि लोगों को खनन के संबंध में सभी सेवाएं पारदर्शी तथा प्रभावी तरीके से प्रदान की जा रही हैं। यह जानकारी उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने दी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन तथा लोगों को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन व सेवाएं प्रदान करवाने के लिए विभाग में अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की सोच को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एकल खिड़की प्रणाली को 15 दिनों के लिए ट्रायल के तौर पर लागू किया जा रहा है और उसके उपरान्त इच्छुक आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनिवार्य होगा। आवेदन के पंजीकरण के उपरान्त आगामी प्रक्रिया कार्यालय स्तर पर इलैक्ट्रॉनिक होगी और इसका विवरण आवेदन को घर बैठे उसके दूरभाष अथवा ई–मेल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रणाली के तहत आवेदक आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विभागीय वैबसाईट www.emerginghimachal.hp.gov पर कभी भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

मंत्री ने कहा कि प्रणाली के अन्तर्गत खनन पट्टा धारक ट्रांजिट पास के लिए भी ऑनलाईन आवेदन दे सकेगा और इसके लिए हर माह कार्यालय के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग ऑनलाईन ट्रांजिट पास जारी करेगा और आवेदक को रॉयल्टी भी ऑनलाईन जमा करवानी होगी। इस प्रक्रिया से खनिज रियायतें प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सेवाएं प्राप्त करने के लिए समय की बचत होगी।

हिमाचल शीघ्र शुरू करेगा 'नो हॉर्न' अभियान

शिमला/शैल। राज्य सरकार अनावश्यक हॉर्न बजाने के कारण स्वास्थ्य के लिए होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से शीघ्र ही राज्य में 'नो हॉर्न' अभियान शुरू करेगी। यह निर्णय

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।

मनीषा नंदा ने कहा कि प्राय: देखा गया है कि अनावश्यक हॉर्न बजाना न केवल लोगों को असुविधाजनक है बल्कि यह भी प्रदर्शित करता है कि हम पर्यावरण तथा अन्य प्राणियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि शोर महज एक बाधा ही नहीं बल्कि एक गम्भीर पर्यावरण सम्बन्धी समस्या तथा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि वाहनों में हॉर्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूकता की कमी के चलते मनुष्य के स्वास्थ्य और व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव चिन्ता का विषय है जिसका शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अभियान इलैक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सभी हितधारकों की सहमति से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों, टैक्सी यूनियनों, बस तथा ट्रक चालकों तथा स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए व्यापक सूचना अभियान चलाया जाएगा। चुनिंदा स्थानों पर पुलिस कर्मियों को ध्वनि मीटर प्रदान किए जाएंगे और वे सीटी बजाने के बजाए 'रूको' और 'जाओ' का प्रयोग करने के लिए भी कहा जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान पुलिस, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकायों, लोक निर्माण विभाग, शिक्षण संस्थानों तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग इत्यादि विभिन्न हितधारकों के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वंयसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा।

मनीषा नंदा ने कहा कि अभियान पहले चरण में शिमला तथा मण्डी शहरों से शुरू किया जाएगा और चरणबद्ध ढंग से राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान केवल शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों तथा राजमार्गों में यह अभियान लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभियान शुरू होने के उपरान्त यातायात पुलिस लोगों को पहले सतर्क करेगी और उसके उपरान्त अत्यधिक एवं अनावश्यक हॉर्न बजाने पर चालान करेगी।

मनीषा नंदा ने कहा कि अनावश्यक हॉर्न बजाने की समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से वाहन चलाने के तौर-तरीकों तथा युवा पीढ़ी में नागरिक संवेदनशीलता के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन गंतव्य है, इसलिए उन्हें शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में पक्षी और जानवर निवास करते हैं और ध्वनि प्रदूषण उनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है।

मनीषा नंदा ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही प्रदेश में प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है।

बैठक में शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप, विशेष सचिव मुख्यमंत्री तथा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रोद्योगिकी डी.सी.राणा, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप, नगर निगम शिमला के आयुक्त रोहित जमवाल, पुलिस अधीक्षक शिमला, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता अशोक चौहान तथा लोक निर्माण विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा परिवहन इत्यादि के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पुलिस विभाग का जनता से समाज विरोधी तत्वों से सचेत रहने का आग्रह

शिमला/शैल। प्राय: देखने में आया है कि समाज विरोधी तत्व आम जनता को बैंक खाते का सत्यापन, नवीनीकरण, ए.टी.एम. कार्ड के अवरूद्ध होने, लाटरी लगने, अत्याधिक ब्याज दर या धन दोगुना करने वाली स्कीमों को झांसा देकर लोगों का धन लूटते हैं। इस प्रकार के अपराधों की शिकायतें अपराध घटित होने के पश्चात पुलिस को मिलती हैं किन्तु यदि आम जनता ऐसे मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ऐसे अपराधों को घटित होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग जनता से आग्रह करता है कि वे निम्न सुझावों का पालन करें: -

1. यदि कोई व्यक्ति फोन पर आपके बैंक खाते के सत्यापन या नवीनीकरण करने के लिए या ए0टी0एम0 कार्ड के अवरूद्ध होने के बहाने से आपके बैंक से सम्बन्धित कोई जानकारी मांगे तो उसे कोई जानकारी न दें क्योंकि कोई भी बैंक फोन पर अपने ग्राहकों से ऐसी सूचना नहीं मांगता है।
2. अपने ए.टी.एम. की पिन, ए.टी.एम. कार्ड व पर्स में लिख कर न रखें। अपना ए.टी.एम. कार्ड पैसे निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को न दे व न ही किसी अनजान व्यक्ति से पैसे निकालने के लिए मदद लें।
3. मोबाईल पर आने वाले कॉल के उत्तर में किसी भी व्यक्ति को अपने ए.टी.एम. बैंक एकाउंट वो ओ.टी.पी. इत्यादि की जानकारी न दें।
4. मोबाईल एवं कम्प्यूटर पर लाटरी इत्यादि की झूठी काल के झासे में न आए व दिए गए किसी भी लिंक पर महत्वपूर्ण जानकारी सांझा न करें।
5. इंटरनेट व समाचार पत्रों के विज्ञापन में प्रकाशित होने वाली ऐसी स्कीमों जिसमें अत्याधिक ब्याज दर देने व धन दोगुना करने का प्रलोभन दिया गया हो के झासे में न आये।
6. कोई भी इन्श्योरेंस ऐजेन्ट, कस्टम अधिकारी, एयरपोर्ट अधिकारी, चिट फंड अधिकारी, म्यूचल फंड अधिकारी, एल.आई.सी. एजेण्ट, आयकर अधिकारी, आर.बी.आई. अधिकारी इत्यादि बनकर मोबाईल फोन या मैसेज द्वारा आपको प्रलोभन देता है तो उसके प्रलोभन में न आएं तथा नजदीकी थाना/चौंकी को इस सन्दर्भ में सूचित करें।
7. किसी भी अन्जान व्यक्ति को फेसबुक व व्हटस ऐप आदि पर confirm न करें तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी सांझा न करें।
8. किसी अनजान व्यक्ति द्वारा विदेश भेजने से सम्बन्धित आश्वासन पर विश्वास न करें। इस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें व जरूरत हो तो पुलिस से सहायता लें।

कांग्रेस को दुष्प्रचार करने में महारत हासिल:धूमल

हमीरपुर/शैल। तीन वर्ष पहले संसद में हमीरपुर तक रेल विस्तार का मुद्दा उठाने से पहले किसी ने हमीरपुर में ट्रेन पहुँचने की परिकल्पना तक नहीं की थी। रविवार को सुजानपुर विस क्षेत्र की ग्राम पंचायत कक्कड़ के छम्ब गाँव में कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने यह बात कही। प्रो. धूमल ने कहा कि चाहे

वह 1990 में स्वयं उनके द्वारा संसद में वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाने की बात हो या फिर वर्ष 2014 में सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर तक रेल पहुँचाने के लिए हमीरपुर ऊना रेल लाइन के निर्माण का मुद्दा संसद में उठाने की बात, भाजपा सांसदों ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से संसद में उठाया और इनको पूरा भी करवाया। वर्ष 2014 में मोदी सरकार बनते ही वन रैंक वन पैंशन लागू किया जिससे लाभान्वित होने वाले लाखों पूर्व सैनिकों में से कई हमीरपुर जिले से भी हैं।

प्रो. धूमल ने कहा कुछ हल्के काम करने वाले लोग, वह बात भी हल्की ही करते हैं। जब तीन वर्ष पहले किसी ने यह तक भी कभी नहीं सोचा की हमीरपुर तक ट्रेन आएगी तब मात्र तीन वर्षों में कैसे रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा। कांग्रेस की सरकारों के समय में तो पांच पांच साल केवल एक किलोमीटर सड़क का सर्वे करने में ही निकल जाते थे। जबकि मोदी सरकार के इन तीन वर्षों में प्रारम्भिक सर्वे रिकोर्ड समय में करवा कर 2850 करोड़ रूपए की हमीरपुर ऊना रेल लाइन भी मंज़ूर करवा दी गयी है।

प्रो. धूमल ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता दुष्प्रचार तो दूर की बात है, भाजपा सरकारों की उपलब्धियों का प्रचार करने में भी कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, जबकि कांग्रेस के लोगों को अपने झूठ को भी सच की तरह पेश कर दुष्प्रचार करने में महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि 1998 और 2007 की भाजपा प्रदेश सरकार के समय में करोड़ों रूपए के विकास कार्य और सडकें सुजानपुर विस क्षेत्र सहित तमाम बमसन इलाके में बनी थी, लेकिन तब शायद ही उनमें किसी एक का भूमि पूजन किया हो। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के समय में इन क्षेत्रों में कुछ मौकापरस्त लोगों ने उन सड़कों का भूमि पूजन कर के जनता की आँखों में धूल झोंकी जिनको बतौर विधायक स्वयं उन्होंने वर्ष 2010-11 में अपने कार्यकाल में विधायक प्राथमिकी योजनाओं में शमिल करवाया था और भाजपा के ही विधायक नरेंदर ठाकुर के कार्यकाल में उन सड़कों के लिया पैसा सेंक्शन हुआ था।

इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष कैप्टन रणजीत सिंह, महामंत्री पवन शर्मा, कक्कड़ पंचायत प्रधान ज्योति ठाकुर, पूर्व महामंत्री वीरेंदर ठाकुर, विनोद ठाकुर आदि सहित अन्य सैंकड़ों लोग उपस्थित रहे।

त्रिपुरा जीत गुड गवर्नेंस का परिणाम है:अनुराग ठाकुर

हमीरपुर/शैल। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को केंद्र सरकार की गुड गवर्नेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि को देते हुए इसे पूर्वोत्तर में भाजपा की बड़ी जीत बताया है।

त्रिपुरा जीत पर अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा की पूर्वोत्तर के त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत केंद्र सरकार के गुड गवर्नेंस की जीत है। त्रिपुरा की जनता ने राज्य में भाजपा को जिता कर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर विजयी मोहर लगाई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पूर्वोत्तर

की जनता का विकास अहम है। पहली बार किसी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता दी है। इस बड़ी जीत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बहुत बधाई देता हूँ। आगे बोलते हुए ठाकुर ने कहा 'विपक्ष के लगातार नकारात्मक प्रचार के बावजूद भाजपा जिस तरह राज्य दर राज्य सरकार बना रही है उससे साफ पता चलता है की जनता ने किसी भी अनर्गल बहकावे में आना बंद कर दिया है। त्रिपुरा की बीते 25 सालों से माकपा सरकार ने राज्य को बदहाली की स्थिति में पहुँचा दिया था मगर अब वहाँ नई गठित होने वाली भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सभी वर्गों के उत्थान का कार्य करेगी।

शिक्षा विभाग के मूलभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए सराहनीय फैसले ले रही सरकार

शिमला/शैल। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष रविन्द्र मैहता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें संघ के महासचिव बी.आर. गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-बी.आर. हरनोट, उपाध्यक्ष- राकेश चौहान, संयुक्त सचिव-राज कुमार चौधरी, संगठन सचिव-बलवीर, पंकज-सदस्य, सन्त राम और अरूण उपस्थित रहें। संघ की इस बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष एवं संयोजक भी शामिल रहे। कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारी संघ की आगमी रणनीति पर विचार-विमर्श किया तथा विशेष रूप से शिक्षा विभाग में 110 वरिष्ठ सहायकों को अधीक्षक ग्रेड-2 पदोन्नत किए जाने पर कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज के इस कर्मचारी हितैषी फैसलें की सराहना करते हुए कहा है कि पिछले 3 वर्षो से कर्मचारियों की यह पदोन्नति रूकी पड़ी थी, जिसके कारण कर्मचारी पदोन्नति से वंचित थे जिसे शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज ने अपने डेढ़ माह के कार्यकाल में एक मुश्त निपटा कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके अतिरिक्त बैठक में कर्मचारी नेताओं ने यह प्रस्ताव भी पारित किया कि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बतौर शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज ने पिछले डेढ़ माह में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को राहत दी है, चाहे वे पूर्व सरकार के समय प्रताड़ित शिक्षक हो या गैर शिक्षक कर्मचारी नेता हो, को न्याय दिया है और इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग के मूलभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए सराहनीय और बड़े-बड़े फैसले लिये जा रहे हैं, जिसके लिए कर्मचारियों का पूर्ण समर्थन शिक्षा मन्त्री के साथ है ।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस सम्मेलन के बहिष्कार से वीरभद्र और साथियों की नीयत आयी शक के दायरे में

शिमला/शैल। केन्द्र की सीबीआई और ईडी की जांच झेल रहे वीरभद्र परिवार की मुश्किलें इन मामलों में कितनी बढ़ेंगी इसका सही पता तो आने वाले दिनों में ही लगेगा। क्योंकि सीबीआई तो इसमें चालान दायर कर चुकी है लेकिन ईडी ने सहअभियुक्त आनन्द चौहान की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ जब चालान दायर किया तो उस समय इस मामले के मुख्य अभियुक्त वीरभद्र के खिलाफ चालान नही डाला। इस पर अदालत ने ईडी को इस मामले में जल्द अनुपूरक चालान डालने के निर्देश दिये। इन निर्देशों के बाद चार बार चालान के लिये वक्त मांगने के बाद भी जब ईडी वीरभद्र के खिलाफ चालान नही डाल पायी तब अदालत ने आनन्द चौहान को ज़मानत दे दी। यह ज़मानत मिलने के बाद अन्नत: ईडी को वीरभद्र के खिलाफ चालान दायर करना ही पड़ा लेकिन जब वीरभद्र, प्रतिभा सिंह और चार अन्य के खिलाफ चालान अदालत में आया तो उसमे वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर का नाम नही था। जबकि ईडी ने जो पहला अटैचमैन्ट आर्डर 23 मार्च 2016 को जारी किया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि अभी वक्कामुल्ला को लेकर जांच पूरी नही हुई है। ईडी जब वीरभद्र के खिलाफ चालान डालने के लिये बार -बार और समय मांग रही थी उस दौरान प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। चुनाव खत्म होने के बाद वीरभद्र के खिलाफ चालान दायर हुआ है। इसी दौरान जब वीरभद्र सिंह की बेटी गुज़रात हाईकोर्ट से चीफ बनकर त्रिपुरा चली गयी तो उसके बाद इसी मामले के सहअभियुक्त वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वह अभी तक हिरासत में ही है। इस मामले में अन्य सहअभियुक्तों और मुख्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी होती है या नहीं इसको लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है।

स्मरणीय है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ यह मामले 2015 में दर्ज हुए थे। वीरभद्र इनके लिये प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और अरूण जेटली को जिम्मेदार ठहराता रहा है। वीरभद्र ने इन लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला तक दायर किया था लेकिन बाद में जेटली के खिलाफ वापिस भी ले लिया था। इन मामलो में वीरभद्र या परिवार के किसी अन्य सदस्य की कभी कोई गिरफ्तारी नही हुई है जबकि आनन्द चौहान और अब वक्कामुल्ला की गिरफ्तारी पर यह सवाल उठे हैं कि मुख्य अभियुक्त को छोड़ सहअभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों हो रही है। इस पूरे मामले में यह भी स्मरणीय है कि जब से यह मामले दर्ज हुए हैं तब से कांग्रेस के अन्दर वीरभद्र ने सुक्खु को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग उठा रखी है। इन्ही मामलों के बाद वीरभद्र ने अपने नाम से ब्रिगेड

का गठन करवाया। सुक्खु को हटाने की मांग पर ही चुनावों मे पूरी कमान अपने हाथ में ली। लेकिन पार्टी को चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि वीरभद्र के इस पूरे कार्यकाल में उनका सारा समय दिल्ली में अपने केसों की पैरवी में ही निकल गया। पूरे कार्यकाल में वह प्रदेश में कुछ ठोस नही कर पाये। संगठन में भी जब सत्ता संभालते ही वह निगमो/बोर्डो की ताजपोशीयों के मामले में विवादित हुए तब उन्होने अधिकांश विधायकों के क्षेत्रों में अपने लोगों को ताजपोशीयां देकर समानान्तर सत्ता केन्द्र खड़े कर दिये। विधान चुनावों में अधिकांश में इन समानान्तर सत्ता केन्द्र बने नेताओं ने अधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है जिसके परिणामस्वरूप पार्टी हार गयी।

लेकिन अब पार्टी के हारने के बावजूद वीरभद्र ने सुक्खु को हटाने की मांग चालू रखी है। अब इस मांग को और हवा देते हुए पार्टी सम्मेलन का ही बायकाट कर दिया। वीरभद्र और उनके विधायक बेटे के साथ ही वीरभद्र खेमे के माने जाने वाले विधायकों तथा पूर्व विधायकों से भी इस पार्टी सम्मेलन का बहिष्कार करवा दिया। अब वीरभद्र बनाम सुक्खु विवाद को जितनी हवा वीरभद्र ने दे दी है उसे देखते हुए विश्लेष्कों के लिये यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि वीरभद्र ऐसा कर क्यों रहे हैं। अभी हाईकमान ने वीरभद्र को केन्द्र में भी संगठन की किसी भी कमेटी में कोई जगह नही दी है। प्रदेश में व्यवहारिक स्थिति यह बनी हुई है कि यदि आज संगठन की बागडोर वीरभद्र के हाथ में दे दी जाये तो भी कोई लाभ होने वाला नही है। क्योंकि इस कार्यकाल में उनकी उपलब्धि के नाम पर प्रदेश में कोई भी बड़ा निवेशक नही आया। जल विद्युत परियोजनाएं लेने के लिये भी कोई नही आया। उल्टे उनके कार्यकाल में प्रदेश के कर्जभार में ही बढ़ौत्तरी हुई है। उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है इसका आकलन इसी से किया जा सकता है कि उन्होने अपने क्षेत्र मे डाक्टरों और अध्यापकों की कमी का रोना शुरू कर दिया जबकि यह सवाल तो उन्ही से पूछा जाना चाहिये था कि यह कमीयां क्यों है। कुल मिलाकर स्थिति यह बनती जा रही है कि जिस अनुपात में मोदी की विश्वसनीयता में कमी आ रही है और कांग्रेस आक्रामक हो रही है उसी अनुपात में वीरभद्र प्रदेश कांग्रेस को कमज़ोर करने पर आमादा हो गये हैं। ऐसा लगने लगा है कि वही वीरभद्र किसी योजना के तहत कांग्रेस को कमज़ोर करक भाजपा को लाभ देने का जुगाड़ कर रहे हैं बल्कि अब तो विक्रमादित्य की होली के अवसर पर आयी एक फेसबुक पोस्ट में जब उन्होने भाजपा में शामिल होने की बात की तो उस पर अब यकीन करने जैसी स्थिति इस पार्टी सम्मेलन का बायकाट करने से बनती जा रही है।

हिमाचल से कौन जायेगा राज्यसभा में, अभी तक नही हुआ फैसला

शिमला/शैल। प्रदेश से राज्यसभा सांसद और केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। इस तरह खाली हो रही इस सीट के लिये 23 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव की प्रक्रिया संबंधी कार्यक्रम भी अधिसूचित हो चुका है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है इस नाते भाजपा का ही उम्मीदवार चुनकर जायेगा यह भी तय है। लेकिन इसके लिये भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा? नड्डा ही फिर

उम्मीदवार होंगे। इसको लेकर अभी तक संगठन की ओर से कोई अधिकारिक सूचना जारी नही हुई है। नड्डा प्रधानमन्त्री के विश्वस्तों में गिने जाते हैं। इस नाते उनका ही फिर से चुना जाना संभावित माना जा रहा है।

लेकिन पार्टी के भीतरी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले को लेकर अभी कई पेंच फसे हुए हैं। क्योंकि पार्टी ने एक समय जब यह निर्णय लिया था कि 75 वर्ष की आयु पूरा कर चुके नेताओ को चुनावी राजनीति और मन्त्री या मुख्यमन्त्री जैसे पदों की जिम्मेदारीयां नही दी जायेंगी, उसी के साथ यह भी फैसला लिया गया था कि राज्यसभा और लोकसभा के लिये एक व्यक्ति को दो से ज्यादा टर्म नही दिये जायेंगे। इस गणित में नड्डा और अनुराग ठाकुर दोनों ही आते है। नड्डा की यह दूसरी टर्म पूरी हो रही है। इसके अतिरिक्त अभी जब जयराम प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने थे तो उस समय यह खुलकर सामने आ गया था कि चुने हुए विधायकों का बहुमत धूमल के साथ था। भले ही वह स्वयं हार गये थे लेकिन चुनावों में पार्टी ने उन्ही का चेहरा आगे किया था और पार्टी की इस जीत मे उनका बड़ा योगदान रहा है यह सब मानते हैं। दो लोगों ने तो उनके लिये अपनी सीटें खाली करने तक की पेशकश भी कर दी थी। मुख्यमन्त्री के चयन के समय में यह पूरी चर्चा में रहा है कि धूमल को रेस से हटाने के लिये उन्हे राज्यसभा में भेजने का आश्वासन दिया गया था। अब उस आश्वासन का कितना मान रखा जाता है इसे परखने का समय आ गया है।

इसी के साथ कांगड़ा क लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार भी केन्द्र और प्रदेश की सरकारों को लेकर तल्ख टिप्पणी करने लग गये हैं। पंजाब नैशनल बैंक स्कैम के सामने आने पर यह शान्ता ने ही टिप्पणी की थी कि अब तो अपने भी लूटने वालों में शामिल हो गये हैं। इसके बाद शान्ता ने जयराम सरकार द्वारा दो माह में ही दो हज़ार करोड़ का कर्ज लेने पर भी करारी टिप्पणी की है। शान्ता कुमार ने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि इस कर्जे से कैसे निजात पायी जायेगी। शान्ता कुमार की इन टिप्पणीयों का केन्द्रिय नेतृत्व पर कितना और क्या असर हुआ है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी जब जयराम पालमपुर गये थे तो उन्होने शान्ता से अकेले में बन्द कमरे में लम्बी बैठक की है। हालांकि शान्ता कुमार अगला चुनाव नही लड़ने की घोषणा कर चुके हैं लेकिन भाजपा और प्रदेश की राजनीति की समझ रखने वाले जानते है कि अभी धूमल और शान्ता को नज़र अन्दाज करने का जोखिम पार्टी नही उठा सकती है। इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि यदि अभी नड्डा के लिये दो टर्म वाला फैसला लागू नही किया जाता है तो उसी गणित में अनुराग के लिये भी यह फैसला लागू नही होगा। जबकि कुछ हल्कों में तो यह चर्चा चली हुई है कि धूमल विरोधी धूमल परिवार को प्रदेश की राजनीति से बाहर करने के लिये दो टर्म के फैसले के तहत अनुराग को टिकट से वंचित करने की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि यह सारे तथ्य हाईकमान के संज्ञान में हैं। इस परिदृश्य में राज्य सभा उम्मीदवार का फैसला लेने से पहले हाईकमान इन पक्षों पर भी गंभीरता से विचार करेगा क्योंकि उसे प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत 2019 में भी चाहिये।